

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/251-21617/जो. जयपुर/2024/171

दिनांक- 15/3/24

आदेश

संगीता नर्सिंग ऑफिसर (प्रोबेशन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गारिण्डा, सीकर के प्रोबेशन काल दिनांक 21.05.2021 से दिनांक 21.06.2021, दिनांक 31.12.2021 से दिनांक 07.01.2022, दिनांक 08.01.2022 से 07.02.2022 तक कुल 71 दिवस के असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1(2)/वित्त/नियम/2006 पार्ट-1 दिनांक 25.10.2019 एवं दिनांक 08.08.2019 के अनुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है । अतः कार्मिका के प्रोबेशन काल अवधि में लिये गये 71 दिवस का असाधारण स्वीकृत अवकाश तथा 71 दिवस असाधारण अवकाश के बराबर परिवीक्षा अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/251-21617/जो. जयपुर/2024/171

दिनांक- 15/3/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर सीकर ।
5. संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
6. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
7. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
8. आदेश/निजी पत्रावली ।

RajKaj Ref
6074374

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :14-03-2024 08:52:34